

( राजस्थान-सरकार )

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)**

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 11/2023

**बउनवान**

राज0 सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों  
(प्रार्थी)

**बनाम**

1. श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल उम्र 55वर्ष पुत्र भैरूलाल खण्डेलवाल जाति महाजन(विक्रेता एवं मालिक) निवासी नीमडीपाडा, अन्ता जिला बारों(राज.) मैसर्स बालाजी स्वीट्स, सीसवाली रोड, अन्ता जिला बारों
2. मैसर्स बालाजी स्वीट्स, सीसवाली रोड, अन्ता जिला बारों

(अप्रार्थीगण)

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11)/51 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011**

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2- स्वयं उपस्थित

(अप्रार्थी)

**निर्णय दिनांक 20.02.2023**

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2022 को मोहन मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड, मैन रोड, जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र भैरूलाल खण्डेलवाल(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ-28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **मिल्ककैक (दूध, शक्कर एवं ड्राईफ्रूट्स से निर्मित)** लगभग 04 किलोग्राम स्टील की ट्रे में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **मिल्ककैक (दूध, शक्कर एवं ड्राईफ्रूट्स से निर्मित)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु विक्रेता को सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **मिल्ककैक (दूध, शक्कर एवं ड्राईफ्रूट्स से निर्मित)** जिसमें से 02 किलोग्राम एक साफ-सूखी स्टील की ट्रे में तुलवाकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र भैरूलाल खण्डेलवाल(विक्रेता एवं मालिक) को 800/- रुपये(अक्षरे आठ सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मिल्ककैक (दूध, शक्कर एवं ड्राईफ्रूट्स से निर्मित)** को चार प्लास्टिक की साफ-सूखी व खाली शीशियों में बराबर भरकर तथा प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40-40 बूंदें डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1594 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1594 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र भैरूलाल खण्डेलवाल(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/397 दिनांक 23.11.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1478/PHL/kota/Act/2022/1481 दिनांक 11.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **मिल्ककैक (दूध, शक्कर एवं ड्राईफ्रूट्स से निर्मित)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाये गये।

इस पर प्रकरण दिनांक 17.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जयें रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मिल्ककैक (दूध, शक्कर एवं ड्राईफ्रूट्स से निर्मित)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किये गये थे, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मेरे द्वारा **मिल्ककैक (दूध, शक्कर एवं ड्राईफ्रूट्स से निर्मित)** अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है जिसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः मेरे विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1478/PHL/kota/Act/2022/1481 दिनांक 11.11.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गयी खाद्य पदार्थ **मिल्ककैक (दूध, शक्कर एवं ड्राईफ्रूट्स से निर्मित)** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1478/PHL/kota/Act/2022/1481 दिनांक 11.11.2022 से **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 14,000/- रुपये (अक्षरे चौदह हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट,  
बारां (राज.)